

सं.05/4/2023-रा.भा.(सेवा)
भारत सरकार
गृह मंत्रालय / राजभाषा विभाग

एनडीसीसी-॥ भवन, बी विंग, चौथा तल,
जय सिंह रोड, नई दिल्ली -110001
दिनांक: 07.11.2023

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग में रिक्ति वर्ष 2024 में उप निदेशक के पद पर नियमित पदोन्नति के लिए संबद्ध वर्षों की APAR मंगवाने के संबंध में।

उपरोक्त विषय के संबंध में राजभाषा विभाग के दिनांक 24.07.2023 के सम संख्यक पत्र तथा दिनांक 25.08.2023, 05.10.2023 व 23.10.2023 के अनुस्मारक का संदर्भ ग्रहण करें जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के सहायक निदेशकों को उप निदेशकों के पद पर पदोन्नति का मामला विचाराधीन है। इस संबंध में यह भी उल्लेख किया जाता है कि बार-बार निदेश जारी किए जाने के बाद भी निम्नलिखित 05 सहायक निदेशकों के नाम के आगे दर्शाए गए समयावधि की वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (APAR) अभी तक प्राप्त नहीं हुई है :-

क्र. स.	अधिकारी का नाम (श्री/श्रीमती/कु.)	वर्तमान तैनाती	वांछित सूचना अपेक्षित
1.	रवि कान्त	विदेश मंत्रालय	वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 की वार्षिक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट ।
2.	राजेन्द्र सिंह तूर	वाणिज्य विभाग	वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 की वार्षिक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट ।
3.	अनिता कुमारी	आर्थिक कार्य विभाग	वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 की वार्षिक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट ।
4.	हरीश सिंह रावत	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय	वर्ष 2016-17, 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 की वार्षिक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट ।
5.	सतीन्द्र मल्होत्रा	शिक्षा मंत्रालय	15.11.2018 से 31.03.2019 तक की वार्षिक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट ।

2. अतः संबंधित मंत्रालयों/ विभागों से पुनः अनुरोध है कि उपर्युक्त अधिकारियों के उल्लिखित समयावधि की वार्षिक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट अथवा NRC (No Report Certificate) राजभाषा विभाग को 20 नवंबर, 2023 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाएं जिससे कि मामले पर आगे की कार्यवाही की जा सके। साथ ही यह भी उल्लेख किया जाता है कि APAR प्राप्त न होने की स्थिति में DPC द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा।

07/11/2023
(काशी नाथ)

अवर सचिव (सेवा)

दूरभाष:-011-23438028

सेवा में,

1. संबंधित मंत्रालय / विभाग के अवर सचिव (प्रशासन) - अनुरोध है कि सभी संबंधित अधिकारियों के अपेक्षित दस्तावेज शीघ्र राजभाषा विभाग को उपलब्ध कराएं ।
2. एन आई सी, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय: कृपया इस कार्यालय ज्ञापन को राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने की व्यवस्था करें।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं यथोचित कार्यवाही हेतु:-

सम्बद्ध सहायक निदेशक/अधिकारी ।